



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

1. पृष्ठभूमि

1.1 वर्तमान में अग्रिमों की पुनर्रचना (प्राकृतिक आपदाओं के कारण अग्रिम की पुनर्रचना से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग द्वारा जारी अलग दिशानिर्देशों के अंतर्गत पुनर्रचित अग्रिमों को छोड़कर) के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश निम्नलिखित चार श्रेणियों में विभाजित हैं :

- (i) औद्योगिक इकाइयों को दिये गये अंग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित दिशानिर्देश
- (ii) कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को दिये गये अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित दिशानिर्देश
- (iii) लघु और मझौले उद्यमों को दिये गये अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित दिशानिर्देश
- (iv) अन्य सभी अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित दिशानिर्देश

अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित दिशानिर्देशों के इन चार समूहों के बीच मोटे तौर पर इस आधार पर भेद किया गया है कि उधारकर्ता औद्योगिक गतिविधि कर रहा है या गैर-औद्योगिक गतिविधि । इसके अलावा, सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत पुनर्रचित खातों के लिए व्यापक संस्थागत व्यवस्था की गयी है । विवेकपूर्ण विनियमन में मुख्य अंतर यह व्यवस्था है कि कतिपय शर्तों के अधीन औद्योगिक गतिविधियों में लगे उधारकर्ताओं के खातों (सीडीआर प्रणाली, एसएमई ऋण पुनर्रचना प्रणाली के अंतर्गत तथा इन प्रणालियों से बाहर के खाते) का वर्गीकरण पुनर्रचना के बाद मौजूदा आस्ति वर्गीकरण श्रेणी के अंतर्गत जारी रहता है । पुनर्रचना के बाद आस्ति वर्गीकरण बनाये रखने का यह लाभ एसएमई उधारकर्ताओं को छोड़कर गैर-औद्योगिक गतिविधियों में लगे उधारकर्ताओं के खातों के लिए उपलब्ध नहीं है । दूसरा अंतर यह है कि सीडीआर प्रणाली तथा एसएमई को दिये गये अग्रिमों की पुनर्रचना पर लागू विवेकपूर्ण विनियमावली सीडीआर प्रणाली के बाहर औद्योगिक इकाइयां को दिये गये अग्रिमों सहित अन्य अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित विनियमों की अपेक्षा अधिक ब्यौरेवार और व्यापक हैं । इसके अलावा, सीडीआर प्रणाली केवल उन्हीं उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध है जो औद्योगिक गतिविधियों में लगे हुए हैं ।

1.2 चूंकि सभी अग्रिमों की पुनर्रचना के अंतर्निहित सिद्धांत एक जैसे हैं, अतः सभी मामलों में विवेकपूर्ण विनियमों को सुसंगत बनाने की आवश्यकता है । तदनुसार, यह परिपत्र ऋण पुनर्रचना प्रणालियों की सभी श्रेणियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को सुसंगत बनाता है । केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनर्रचित खातों को इस दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि उनपर आरपीसीडी

,½¥,çÅŠ, œ,¢£ „¥„, „Ù£ ¹„, ^Å,¬, ¹„, Ž,, Š,, ^½¿ÅÍÚí, ^Å,i, Ä¥,i, 12„, i, Ÿ, , ^½¿ÅÍÚí, ^Å,i, Ä¥,i,
 Ž,, „, ©,íú™ Ž,Š,÷, ¢,¬,çÍ Y,,Š,Å, Yé, „fÅ 400001

Department of Banking Operations and Development, Central Office, 12th Floor, Central Office Bhavan, Shahid
 Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400001

½¥,úÛÅø, /Tel No: 22661602 ०³%ÅÆ-, /Fax No: 22705691 Email ID: cgmicdbodco@rbi.org.in

द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देश लागू रहेंगे। सीडीआर प्रणाली सहित सभी पुनर्चना पर लागू विवेकपूर्ण मानदंड पैरा 3 में दिये गये हैं। सीडीआर प्रणाली और एसएमई ऋण पुनर्चना प्रणाली के लिए संस्थागत/संगठनात्मक ढांचे के ब्यौरे अनुबंध 1 में दिये गये हैं।

यह नोट किया जाए कि पैरा 3 में निर्धारित सामान्य सिद्धांतों में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि पुनर्चना के तुरंत बाद ‘मानक’ अग्रिमों को ‘अवमानक’ के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाए। तथापि, नीचे पैरा 6.1 में विनिर्दिष्ट उधार श्रेणियों (अर्थात् उपभोक्ता और वैयक्तिक अग्रिम, पूँजी बाजार और स्थावर संपदा एक्सपोज़र के रूप में वर्गीकृत अग्रिम) को छोड़कर सभी उधारकर्ता पैरा 6.2 में वर्णित शर्तों के अधीन, पुनर्चना के बाद आस्ति वर्गीकरण बनाए रखने के पात्र होंगे।

1.3 अब से सीडीआर प्रणाली (अनुबंध 1) गैर-औद्योगिक गतिविधियों में लगे कार्पोरेट के लिए भी उपलब्ध होगी, बशर्ते इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मानदंड के अनुसार वे पुनर्चना के लिए अन्यथा रूप से पात्र हों। इसके अलावा, बैंकों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है कि वे सहायता संघ/बहुल बैंकिंग खातों की पुनर्चना के मामले में, जो कि सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत नहीं आते हैं, आपस में बेहतर समन्वय करें।

2. मुख्य अवधारणाएं

इन दिशानिर्देशों में प्रयुक्त मुख्य अवधारणाएं अनुबंध 2 में दी गयी हैं।

3. पुनर्चित अग्रिमों के लिए सामान्य सिद्धांत और विवेकपूर्ण मानदंड

इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्धांत और विवेकपूर्ण मानदंड सभी अग्रिमों पर लागू हैं। इनमें वे उधारकर्ता भी शामिल हैं जो पैरा 6 में विनिर्दिष्ट आस्ति वर्गीकरण के लिए विशेष विनियामक कार्यवाई के पात्र हैं। इन मामलों में पैरा 3.1.2, 3.2.1 और 3.2.2 के प्रावधान पैरा 6 के प्रावधानों से संशोधित हो जाएंगे।

3.1 अग्रिमों की पुनर्चना के लिए पात्रता मानदंड

3.1.1 बैंक ‘मानक’, ‘अवमानक’ और ‘संदिधि’ श्रेणियों में वर्गीकृत खातों की पुनर्चना कर सकते हैं।

3.1.2 बैंक पूर्व व्यापी प्रभाव से उधार खातों की अवधि का पुनर्निर्धारण/ऋण की पुनर्चना/ऋण की शर्तों में परिवर्तन नहीं कर सकते। जब कोई पुनर्चना प्रस्ताव विचाराधीन हो तब सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू रहेंगे। केवल इसलिए कि पुनर्चना प्रस्ताव विचाराधीन है, किसी आस्ति की पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया नहीं रुकनी चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्चना पैकेज के अनुमोदन की तारीख को आस्ति वर्गीकरण की जो स्थिति है वह पुनर्चना/अवधि के पुनर्निर्धारण/ऋण की शर्तों में परिवर्तन के बाद खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति निश्चित करने में प्रासंगिक होगी। यदि पुनर्चना पैकेज की मंजूरी में अनुचित विलंब होता है तथा इस बीच खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति में गिरावट आती है तो यह पर्यवेक्षीय चिंता का विषय होगा।

3.1.3 सामान्यतया पुनर्चना तब तक नहीं हो सकती, जब तक कि ऋणकर्ता की औपचारिक सहमति/आवेदन द्वारा मूल ऋण करार में बदलाव/परिवर्तन न किया गया हो। तथापि उपयुक्त मामलों में बैंक भी पुनर्चना प्रक्रिया आरंभ कर सकता है, बशर्ते ग्राहक निबंधन और शर्तों से सहमत हो।

3.1.4 बैंक तब तक किसी खाते की पुनर्रचना नहीं करेंगे जब तक पुनर्रचना की वित्तीय व्यवहार्यता स्थापित न हो जाए तथा पुनर्रचित पैकेज की शर्तों के अनुसार उधारकर्ता से चुकौती प्राप्त करने की अच्छी संभावना न हो । बैंकों द्वारा व्यवहार्यता का निर्धारण उनके द्वारा निर्धारित स्वीकार्य व्यवहार्यता बैंचमार्क के आधार पर होना चाहिए तथा इसे हर मामले के गुण-दोष को विचार में लेते हुए मामला-दर-मामला आधार पर लागू किया जाना चाहिए । उदाहरण के लिए मापदंडों के भीतर विनियोजित पूँजी पर प्रतिफल, ऋण सेवा व्यापि अनुपात, प्रतिफल की आंतरिक दर और निधियों की लागत के बीच अंतराल तथा पुनर्रचित अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले अपेक्षित प्रावधान की राशि को शामिल किया जा सकता है । जिन खातों को व्यवहार्य नहीं माना जा रहा है, उनकी पुनर्रचना नहीं की जानी चाहिए तथा ऐसे खातों के संबंध में वसूली उपायों में तेजी लायी जानी चाहिए । उधारकर्ता के नकदी प्रवाह पर ध्यान दिये बिना तथा बैंकों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं/गतिविधियों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किये बिना यदि कोई पुनर्रचना की जाती है तो उसे एक कमजोर ऋण सुविधा को हमेशा के लिए कमजोर बनाने का प्रयास माना जाएगा तथा इससे पर्यवेक्षीय चिंता उत्पन्न होगी/पर्यवेक्षीय कार्रवाई की जा सकती है ।

3.1.5 यद्यपि जिन उधारकर्ताओं ने कपट या दुराचार किया है वे पुनर्रचना के पात्र नहीं होंगे, तथापि बैंकों को इरादतन चूककर्ताओं के रूप में उधारकर्ताओं के वर्गीकरण के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए, खास कर पुराने मामलों में जब उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने का तरीका पारदर्शी नहीं था । बैंकों को अपने आप को इस बात से संतुष्ट करना चाहिए कि उधारकर्ता इरादतन चूक में सुधार लाने की स्थिति में है । ऐसे मामलों में बोर्ड के अनुमोदन से पुनर्रचना की जा सकती है तथा सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत ऐसे खातों की पुनर्रचना केवल केंद्रीय समूह (कोर ग्रूप) के अनुमोदन से की जानी चाहिए ।

3.1.6 बीआइएफआर मामलों की पुनर्रचना बिना उनके स्पष्ट अनुमोदन के नहीं की जा सकती । सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत पुनर्रचित अग्रिमों के मामले में सीडीआर कोर ग्रूप/एसएमई ऋण पुनर्रचना प्रणाली के मामले में अग्रणी बैंक तथा अन्य मामलों में अलग-अलग बैंक यह सुनिश्चित करने के बाद कि पैकेज के कार्यान्वयन के पहले बीआइएफआर से अनुमोदन प्राप्त करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी हैं, ऐसे मामलों में पुनर्रचना के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं ।

3.2 आस्ति वर्गीकरण मानदंड

अग्रिमों की पुनर्रचना निम्नलिखित चरणों में हो सकती है :

- (क) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन आरंभ होने के पहले;
- (ख) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन के आरंभ होने के बाद लेकिन आस्ति के ‘अवमानक’ वर्गीकरण के पहले;
- (ग) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन के आरंभ होने के बाद और आस्ति के ‘अवमानक’ या ‘संदिग्ध’ वर्गीकरण के बाद

3.2.1 पुनर्रचना के बाद ‘मानक आस्तियों’ के रूप में वर्गीकृत खातों को तुरंत ‘अवमानक आस्तियों’ के रूप में पुनः वर्गीकृत करना चाहिए ।

3.2.2 पुनर्रचना के बाद अनर्जक आस्तियों का वही आस्ति वर्गीकरण रहेगा जो पुनर्रचना के पहले था तथा पुनर्रचना के पूर्व चुकौती अनुसूची के संदर्भ में विद्यमान आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार और भी घटकर न्यूनतर आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में चला जाएगा ।

3.2.3 ऐसे सभी खाते जिन्हें पुनर्रचना के बाद अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ‘विनिर्दिष्ट अवधि’ के दौरान उनके ‘संतोषजनक कार्य निष्पादन’ देखने के बाद ‘मानक’ संवर्ग में वर्गीकृत किये जाने के पात्र होंगे । (अनुबंध 2)

3.2.4 लेकिन जिन मामलों में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद संतोषजनक कार्य निष्पादन नहीं देखा गया है, उन मामलों में पुनर्रचित खाते का आस्ति वर्गीकरण पुनर्रचना के पूर्व की चुकौती अनुसूची से संबंधित प्रयोज्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होगा ।

3.2.5 किसी अतिरिक्त वित्तपोषण को, अनुमोदित पुनर्रचना पैकेज के अंतर्गत पहला ब्याज/मूल ऋण राशि की चुकौती, इनमें जो भी पहले हो, देय होने के बाद एक वर्ष की अवधि तक ‘मानक आस्ति’ माना जाएगा । परंतु ऐसे खातों के मामले में जिन्हें पुनर्रचना के पहले ‘अवमानक’ और ‘संदिग्ध’ श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, अतिरिक्त वित्तपोषण की ब्याज आय नकदी आधार पर ही मान्य होनी चाहिए । उपर्युक्त विनिर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि के अंत में यदि पुनर्रचित आस्ति श्रेणी उन्नयन के लिए पात्र नहीं होती है तो अतिरिक्त वित्तपोषण को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें पुनर्रचित ऋण है ।

3.2.6 यदि कोई पुनर्रचित आस्ति पुनर्रचना के बाद मानक आस्ति है तथा बाद में उसकी पुनः पुनर्रचना की जाती है तो उसे अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए । यदि पुनर्रचित आस्ति अवमानक या संदिग्ध आस्ति है तथा बाद में उसकी पुनः पुनर्रचना की जाती है तो उसके आस्ति वर्गीकरण की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस दिन वह पहली बार अनर्जक आस्ति बनी । परंतु दूसरी बार या दो से अधिक बार पुनर्रचित ऐसे अग्रिमों को, संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन चालू पुनर्रचना पैकेज की शर्तों के अनुसार ब्याज की पहली चुकौती या मूलधन की चुकौती, जो भी पहले देय हो, उस तारीख से एक वर्ष बाद मानक संवर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है ।

3.3 आय निर्धारण मानदंड

पैरा 3.2.5, 4.2 और 5.2 के प्रावधानों के अधीन, ‘मानक आस्तियों’ के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों की ब्याज आय को उपचय आधार पर तथा ‘अनर्जक आस्तियों’ के रूप में वर्गीकृत खातों के मामले में नकदी आधार पर आय निर्धारण करना चाहिए ।

3.4 प्रावधानीकरण मानदंड

3.4.1 सामान्य प्रावधान

बैंक विद्यमान प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार पुनर्रचित अग्रिमों के लिए प्रावधान रखेंगे ।

3.4.2 पुनर्रचित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान

(i) पुनर्रचना के अंग के रूप में ब्याज दर में कमी और/अथवा मूल ऋण राशि की चुकौती की अवधि में परिवर्तन के कारण अग्रिम के उचित मूल्य में कमी आएगी । मूल्य में ऐसी कमी बैंक के लिए एक आर्थिक हानि है और इसका बैंक की ईक्विटी के बाजार मूल्य पर असर पड़ेगा । अतः यह आवश्यक है

कि बैंक अग्रिम के उचित मूल्य में आयी कमी की माप करें तथा लाभ और हानि खाते में नामे डालकर इसके लिए प्रावधान करें। ऐसा प्रावधान ऊपर पैरा 3.4.1 में निर्दिष्ट विद्यमान प्रावधानीकरण मानदंड के अनुसार किये गये प्रावधान के अतिरिक्त होगा तथा उसे सामान्य प्रावधानों के खाते से अलग खाते में रखा जाना चाहिए।

इस प्रयोजन के लिए अग्रिम के उचित मूल्य में कमी की गणना "पुनर्रचना की तारीख को लागू बीपीएलआर तथा पुनर्रचना की तारीख को उधारकर्ता श्रेणी के लिए उपयुक्त अवधि प्रीमियम और ऋण जोखिम प्रीमियम के आधार पर गणना किये गये भावी नकदी प्रवाह (मूलधन और ब्याज का योग) का वर्तमान मूल्य" तथा "पुनर्रचना पैकेज के अनुसार लगायी गयी दर के आधार पर भावी नकदी प्रवाह (मूलधन और ब्याज का योग) का वर्तमान मूल्य" के बीच के अंतर के रूप में की जानी चाहिए। वर्तमान मूल्य की गणना के लिए लागू की जानेवाली डिस्काउंट दर (पुनर्रचना की तारीख को चालू बीपीएसलआर + उपयुक्त अवधि प्रीमियम + पुनर्रचना की तारीख को उधारकर्ता पर लागू ऋण जोखिम प्रीमियम) के बराबर होनी चाहिए।

(ii) कार्यशील पूँजी सुविधाओं के मामले में नकदी ऋण/ओवरड्रापॉट घटक के उचित मूल्य में कमी की गणना ऊपर पैरा (1) के अनुसार की जानी चाहिए, जिसमें बकाया राशि या स्वीकृत सीमा में से उच्चतर राशि को मूल ऋण राशि तथा अग्रिम की अवधि को एक वर्ष माना जाना चाहिए। डिस्काउंट फैक्टर में अवधि प्रीमियम एक वर्ष के लिए लागू होगा। मीयादी ऋण घटकों (कार्यशील पूँजी मीयादी ऋण और निधिक ब्याज मीयादी ऋण) के उचित मूल्य की गणना वास्तविक नकदी प्रवाह के अनुसार तथा संबंधित मीयादी ऋण घटकों की परिपक्वता पर लागू अवधि प्रीमियम को डिस्काउंट फैक्टर में मानते हुए की जाएगी।

(iii) यदि अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले कोई जमानत ली जाती है तो जमानत की परिपक्वता तक उसका मूल्य 1 रुपया माना जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि लाभ और हानि खाते में आर्थिक क्षति प्रभारित करने का प्रभाव समाप्त नहीं होगा।

(iv) उचित मूल्य में कमी की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को पुनः की जानी चाहिए, जब तक कि सभी चुकौती दायित्व संतोषजनक रूप से पूरे नहीं कर लिये जाते हैं तथा खाते के बकाये की पूरी चुकौती नहीं हो जाती है। ऐसा इसलिए किया जाना है ताकि बीपीएलआर, अवधि प्रीमियम और उधारकर्ता की ऋण श्रेणी में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य में आए परिवर्तन को गणना में शामिल किया जा सके। इसके फलस्वरूप, बैंक प्रावधान में आयी कमी को पूरा कर सकते हैं या अलग खाते में रखे अतिरिक्त प्रावधान को रिवर्स कर सकते हैं।

(v) यदि विशेषज्ञता/समुचित इनप्रास्ट्रक्चर के अभाव में छोटी/ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिये गये अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी की गणना सुनिश्चित करना बैंक के लिए कठिन हो तो उचित मूल्य में कमी की राशि की गणना के लिए ऊपर निर्धारित क्रियाविधि के विकल्प के रूप में बैंक उचित मूल्य में कमी की राशि की गणना नोशनल आधार पर कर सकते हैं तथा उन सभी पुनर्रचित खातों के मामले में जहां बैंक का कुल बकाया एक करोड़ रुपये से कम हो मार्च 2011 को समाप्त वित्त वर्ष तक कुल एक्सपोज़र के पांच प्रतिशत पर प्रावधान कर सकते हैं। बाद में इस स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

3.4.3 किसी खाते के लिए अपेक्षित कुल प्रावधान (सामान्य प्रावधान तथा अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले प्रावधान) की अधिकतम राशि बकाया ऋण राशि के 100% है।

4. मूल ऋण राशि को ऋण/ईक्विटी लिखत में परिवर्तन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

4.1 आस्ति वर्गीकरण मानदंड

पुनर्रचना के अंग के रूप में बकाया मूल ऋण राशि के एक हिस्से को ऋण या ईक्विटी लिखत में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार निर्मित ऋण/ईक्विटी लिखत को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें पुनर्रचित अग्रिम है। इन लिखतों के आस्ति वर्गीकरण में आगे आनेवाले परिवर्तन भी पुनर्रचित अग्रिम के परवर्ती आस्ति वर्गीकरण पर आधारित होंगे।

4.2 आय निर्धारण मानदंड

4.2.1 मानक खाते

‘मानक’ रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों के मामले में इन लिखतों द्वारा निर्मित आय, यदि कोई हो, को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाए।

4.2.2 अनर्जक खाते

अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों के मामले में इन लिखतों द्वारा निर्मित आय, यदि कोई हो, का निर्धारण केवल नकद आधार पर किया जाए।

4.3 मूल्यांकन तथा प्रावधानीकरण मानदंड

इन लिखतों को बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत धारित किया जाए तथा सामान्य मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार इनका मूल्यांकन किया जाए। मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत ईक्विटी का मूल्यांकन यदि उसे कोट किया गया हो तो बाजार मूल्य पर अथवा यदि नहीं किया गया हो तो कंपनी के अद्यतन तुलन-पत्र से सुनिश्चित उसके विश्लेषित मूल्य पर (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि यदि कोई हो, पर ध्यान दिए बिना) किया जाए। अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध न होने पर शेयरों का 1 रुपए पर मूल्यांकन किया जाए। अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत ईक्विटी लिखत का यदि उसे कोट किया हो तो बाजार मूल्य पर मूल्यांकन किया जाए और ऐसे मामले में जहां ईक्विटी कोट नहीं की गयी है, उसे 1.00 रुपए पर मूल्यांकित किया जाए। इन लिखतों पर मूल्यहास को बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत धारित किन्हीं अन्य प्रतिभूतियों में हुए मूल्य वर्धन के बदले समायोजित नहीं किया जाए।

5. अदत्त ब्याज का ‘निधिक ब्याज मीयादी ऋण’ (एफआइटीएल) ऋण अथवा ईक्विटी लिखतों में परिवर्तन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

5.1 आस्ति वर्गीकरण मानदंड

अदत्त ब्याज के परिवर्तन से निर्मित एफआइटीएल/ ऋण अथवा ईक्विटी लिखत को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा जिसमें पुनर्व्यवस्थित अग्रिम का वर्गीकरण किया गया है। एफआइटीएल/ऋण अथवा ईक्विटी लिखतों के आस्ति वर्गीकरण में अगला उतार-चढ़ाव भी पुनर्व्यवस्थित अग्रिम के परवर्ती आस्ति वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

5.2 आय-निर्धारण मानदंड

5.2.1 इन लिखतों से प्राप्त आय यदि कोई हो को, इन लिखतों को यदि ‘मानक’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो उपचित आधार पर, और अनर्जक आस्ति के रूप में जिनका वर्गीकरण किया गया है उस मामले में नकद आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

5.2.2 अप्राप्त आय का प्रतिनिधित्व करने वाले एफआइटीएल/ऋण अथवा ईक्विटी लिखत के संबंध में "फुटकर देयता खाता (ब्याज का पूँजीकरण)" शीर्ष वाले खाते में तदनुरूपी जमा होनी चाहिए।

5.2.3 अप्राप्त ब्याज के कोट की गई ईक्विटी में परिवर्तन के मामले में ब्याज से प्राप्त आय का मानक श्रेणी में उक्त खाते के उन्नयन के बाद ऐसे उन्नयन की तारीख को ईक्विटी में परिवर्तित ब्याज की राशि से अनधिक ईक्विटी के बाजार मूल्य पर निर्धारण किया जाएगा।

5.2.4 एफआइटीएल के मामले में चुकौती के बाद अथवा ऋण / ईक्विटी लिखतों की बिक्री /मोचन से राशि प्राप्त होने के बाद ही, प्राप्त राशि को लाभ-हानि खाते में दर्ज किया जाएगा और उसी समय 'फुटकर देयताएं खाते (ब्याज का पूँजीकरण)' में शेष को कम किया जाएगा।

5.2.5 मूल्यांकन तथा प्रावधानीकरण मानदंड

मूल्यांकन तथा प्रावधानीकरण मानदंड उपर्युक्त पैरा 4.3 के अनुसार होंगे। मूल्यांकन पर होने वाले मूल्यहास को, यदि कोई हो, पुटकर देयता (ब्याज का पूँजीकरण) खाते में प्रभारित किया जाए।

6. आस्ति वर्गीकरण के लिए विशेष विनियामक व्यवहार

6.1 इस संबंध में पैरा 3 में निर्धारित प्रावधानों में संशोधन के अनुसार महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों में लगे हुए उधारकर्ताओं को नीचे पैरा 6.2 में दी गई कुछ शर्तों के अनुपालन के अधीन आस्ति वर्गीकरण के लिए विशेष विनियामक व्यवहार उपलब्ध होगा। इस तरह का व्यवहार अग्रिमों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए उपलब्ध नहीं है :

- i. उपभोक्ता तथा व्यक्तिगत अग्रिम
- ii. पूँजी बाजार एक्सपोज़र के रूप में वर्गीकृत अग्रिम
- iii. वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोज़र के रूप में वर्गीकृत अग्रिम;

इन तीन श्रेणियों के खातों तथा पैरा 6.2 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न करने वाले अन्य खातों का आस्ति वर्गीकरण इस संबंध में उपर्युक्त पैरा 3 में वर्णित विवेकपूर्ण मानदंडों की परिधि में आएगा।

6.2 विशेष विनियामक ढांचे के तत्व

विशेष विनियामक ढांचे में दो निम्नलिखित घटक हैं :

- (i) पुनर्रचना पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन
- (ii) पुनर्रचित खाते के आस्ति वर्गीकरण को पुनर्रचना पूर्व आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में ही रखना

6.2.1 पुनर्रचना पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन

पैरा 3.1.2 में दिए गए अनुसार अग्रिम की पुनर्रचना का आवेदन बैंक के पास लंबित होने की अवधि के दौरान, सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू होना जारी रहेगा। आस्ति के पुनर्वर्गीकरण की प्रक्रिया आवेदन विचाराधीन होने के कारण रुकनी नहीं चाहिए। तथापि, पैक ज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में बैंक यदि निम्नलिखित समय अनुसूची के अनुसार अनुमोदित पैकेज का

कार्यान्वयन करता है तो आस्ति वर्गीकरण स्तर को उस स्तर पर पुनः स्थापित किया जाएगा जो स्तर सीडीआर प्रणाली की परिधि में आनेवाले मामलों के संबंध में सीडीआर कक्ष को संपर्क करने के समय अथवा सीडीआर से इतर मामलों में बैंक द्वारा पुनर्रचना आवेदन प्राप्त करने के समय विद्यमान था :

- (i) सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत अनुमोदन की तारीख से 120 दिन के भीतर।
- (ii) सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत पुनर्रचित मामलों से अन्य मामलों में बैंक द्वारा आवेदन प्राप्त करने की तारीख से 90 दिन के भीतर

6.2.2 आस्ति वर्गीकरण लाभ

पैरा 3 में निर्धारित विवेकपूर्ण ढांचे के अनुपालन के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन:

- (i) पैरा 3.2.1 के आशोधन में पुनर्रचना के बाद किसी मौजूदा ‘मानक आस्ति’ का दर्जा घटाकर उसे अवमानक श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।
- (ii) पैरा 3.2.2 के आशोधन में निर्दिष्ट अवधि के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्ठादान प्रदर्शित करने पर निर्दिष्ट अवधि के दौरान अवमानक /संदिग्ध खातों के आस्ति वर्गीकरण का दर्जा पुनर्रचना करने पर कम नहीं होगा।

तथापि, ये लाभ निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन उपलब्ध होंगे :

i) बैंक को प्राप्य राशियां अनुबंध 2 में परिभाषित किए गए अनुसार ‘पूरी तरह रक्षित’ हैं। मूर्त जमानत द्वारा पूरी तरह रक्षित होने की शर्त निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगी :

(क) लघु उद्योग उधारकर्ता जहां 25 लाख रुपए तक की राशि बकाया है।

(ख) बुनियादी सुविधा परियोजनाएं बशर्ते इन परियोजनाओं से अर्जित नकदी प्रवाह अग्रिम की चुकौती के लिए पर्याप्त हैं, वित्तपोषण करने वाले बैंकों के पास नकदी प्रवाहों के निलंबन के लिए उचित प्रणाली स्थापित है और उनके पास इन नकदी प्रवाहों पर प्रथम दावा करने का स्पष्ट तथा कानूनन अधिकार है।

ii) यदि वह बुनियादी सुविधा देने वाले कार्य कर रही है तो यूनिट 10 वर्ष की अवधि में अर्थक्षम होती है और अन्य इकाइयों के मामले में 7 वर्ष की अवधि में।

iii) पुनर्रचित अग्रिम की चुकौती की अवधि जिसमें अधिस्थगन यदि कोई हो, शामिल हैं बुनियादी सुविधाएं अग्रिमों के मामले में 15 वर्ष तथा अन्य अग्रिमों के मामले में 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

iv) प्रवर्तकों का त्याग तथा उनके द्वारा लायी गई अतिरिक्त निधियां बैंक के त्याग की कम-से-कम 15 प्रतिशत होनी चाहिए।

v) अर्थव्यवस्था तथा उद्योग से संबंधित बाहरी कारणों का यूनिट पर असर पड़ने के मामले को छोड़कर अन्य सभी में प्रवर्तक ने अपनी व्यक्तिगत गारंटी दी हो।

vi) विचाराधीन पुनर्रचना अनुबंध 2 के पैरा (V) में परिभाषित किए गए अनुसार ‘पुनरावृत्त पुनर्रचना’ नहीं हैं।

7. विविध

7.1 बैंकों को परिवर्तनीयता (ईक्विटी में) के विकल्प संबंधी मामले पर पुनर्रचना कार्य के एक भाग के रूप में निर्णय लेना होगा। इसके अनुसार बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के पास बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 (बैंकों के मामले में) और सेबी के संबंधित विनियमों के अंतर्गत सांविधिक अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए, पुनर्रचित खाते के कुछ हिस्से को ईक्विटी में परिवर्तित करने का अधिकार रहेगा।

7.2 ऐसा अर्जन करने से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूँजी बाजार एक्सपोजर की विवेकपूर्ण सीमा का उल्लंघन किए जाने के बावजूद ऋण /अतिदेय ब्याज के परिवर्तन के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना कंपनियों में ईक्विटी शेयर /परिवर्तनीय बाण्ड /परिवर्तनीय डिबेंचरों का अर्जन किया जा सकता है। तथापि, यह आस्ति गुणवत्ता पर नियमित डीएसबी विवरणी के साथ प्रति माह ऐसी धारिताओं के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को रिपोर्ट करने के अधीन होगा। फिर भी, बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 (2) के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

7.3 ऋण के परिवर्तन के रूप में सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों के अर्जन को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनिवार्य रेटिंग अपेक्षा तथा गैर-सूचीबद्ध सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों में निवेश पर विवेकपूर्ण सीमा से छूट दी गई है, बशर्ते उपर्युक्त डीएसबी विवरणी में भारतीय रिजर्व बैंक को आवधिक रूप से रिपोर्ट भेजी जाती रहे।

7.4 बैंक अनुमोदित पुनर्रचना पैकेजों में ऋणदाता के चुकौती में तेजी लाने के अधिकारों तथा उधारकर्ता के समय-पूर्व भुगतान करने के अधिकार को शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। प्रतिदान /प्रतिपूर्ति का अधिकार बैंकों द्वारा निर्धारित किसी कार्यनिष्पादन मानदंड पर आधारित होना चाहिए।

8. प्रकटीकरण

बैंकों को अपने प्रकाशित वार्षिक तुलन पत्रों में ‘लेखे पर टिप्पणियाँ’ के अंतर्गत पुनर्रचित अग्रिमों की संख्या तथा राशि के संबंध में तथा अनुबंध -3 में उल्लिखित पुनर्रचित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी की मात्रा संबंधी जानकारी भी प्रकट करनी चाहिए। यह जानकारी सीडीआर प्रणाली, एसएमई ऋण पुनर्रचना प्रणाली तथा अन्य श्रेणियों के अंतर्गत पुनर्रचित अग्रिमों के लिए अलग से अपेक्षित होगी।

9. उदाहरण

पुनर्रचित खातों के आस्ति वर्गीकरण से संबंधित कुछ उदाहरण अनुबंध - 4 में दिए गए हैं।

अनुबंध - 1

सहायता संघीय/बहु बैंकिंग/समूहन व्यवस्थाओं के अंतर्गत अग्रिमों की पुनर्रचना के लिए संगठनात्मक ढांचा

क. कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) प्रणाली

1.1 उद्देश्य

कंपनी ऋण पुनर्रचना के ढांचे का उद्देश्य औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआइएफआर), ऋण वसूली अधिकरण (डी आर टी) तथा अन्य कानूनी कार्यवाही की परिधि से बाहर समस्याओं का सामना कर रही, संभाव्य क्षमता वाली कंपनियों के कंपनी ऋणों की पुनर्रचना के लिए समय पर और पारदर्शी तंत्र सुनिश्चित करना है, जो सभी संबंधित संस्थाओं के लिए लाभदायक हो। विशेष रूप से ढांचे का

लक्ष्य संभाव्य क्षमता वाली उन कंपनियों को बचाना होगा जो कतिपय आंतरिक और बाह्य कारकों से प्रभावित हों और इसका उद्देश्य ऋणदाताओं तथा अन्य हितधारकों की हानियों को सुव्यवस्थित और समन्वित पुनर्रचना कार्यक्रम के माध्यम से कम से कम करना भी है।

1.2 व्याप्ति

एक से अधिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधाओं का लाभ उठानेवाले उधारकर्ताओं के अग्रिमों की समन्वयित तरीके से पुनर्रचना करने के लिए सीडीआर प्रणाली को तैयार किया गया है। सीडीआर प्रणाली एक संगठनात्मक ढांचा है जिसे एक से अधिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से वित लेनेवाले बड़े उधारकर्ताओं के पुनर्रचना के प्रस्तावों के तेजी से निपटान के लिए एक स्थायी रूप दिया गया है। यह प्रणाली किसी भी प्रकार के कार्य करनेवाले सभी उधारकर्ताओं को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपलब्ध होगी :

- क) उधारकर्ता उधार देने की बहु बैंकिंग/समूहन/सहायता संघीय प्रणाली के अंतर्गत एक से अधिक बैंक/वित्तीय संस्थाओं से उधार सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।
- ख) कुल बकाया एक्सपोजर (निधि आधारित तथा निधीतर आधारित) 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक है।

हमारे देश में कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली का ढांचा तीन स्तरीय होगा :

- कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच और उसका मुख्य समूह
- कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह
- कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष

2. कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच

2.1 कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच इस प्रणाली में भाग लेने वाली सभी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों का प्रतिनिधिक सामान्य निकाय (बॉडी) होगा। सभी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को अपने हित में इस प्रणाली में भाग लेना चाहिए। कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच स्वयं में एक अधिकारप्राप्त निकाय होगा, जो नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करेगा तथा कंपनी ऋण पुनर्रचना की प्रगति पर निगरानी रखेगा।

2.2 यह मंच ऋणदाताओं और ऋणकर्ताओं दोनों के लिए (परामर्श द्वारा) सभी संबंधित संस्थाओं के हित में ऋण पुनर्रचना योजनाएं बनाने के लिए नीतियां और दिशानिर्देश परस्पर सहमति से और सामूहिक रूप से विकसित करने के लिए एक आधिकारिक मंच प्रदान प्रदान करेगा।

2.3 कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड; अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक; प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक निदेशक, आइसीआइसीआइ बैंक; अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ और साथ ही प्रणाली में स्थायी सदस्य के रूप में भाग लेने वाले सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शामिल होंगे। चूंकि भारतीय यूनिट ट्रस्ट, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम जैसी संस्थाओं को कुछ ऋणकर्ताओं के संबंध में ऋण जोखिम उठाने पड़े होंगे, अतः ये संस्थाएं कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली में भाग ले सकती हैं। यह मंच एक वर्ष की अवधि के लिए अपना अध्यक्ष चुनेगा और बाद के वर्षों में क्रमिक रूप से चयन का सिद्धांत अपनाया जायेगा। परंतु यह मंच कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच को मार्गदर्शन देने और मंच के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए पूर्णकालिक अधिकारी के रूप में एक कार्यकारी अध्यक्ष रखने का निर्णय कर सकता है। रिजर्व बैंक, कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच और मुख्य समूह का सदस्य नहीं होगा। इसकी भूमिका विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान करने तक सीमित होगी।

2.4 कंपनी ऋण पुनर्चना स्थायी मंच की बैठक हर छः महीने में कम से कम एक बार होगी और मंच कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली की प्रगति की समीक्षा करेगा और उस पर निगरानी रखेगा। यह मंच ऋण की पुनर्चना के लिए कंपनी ऋण पुनर्चना (सीडीआर) अधिकारप्राप्त समूह और कंपनी ऋण पुनर्चना (सीडीआर) कक्ष द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियाँ और दिशानिर्देश जिनमें पुनर्चना के लिए महत्वपूर्ण मानदंड शामिल हैं (उदाहरण के लिए पुनर्चना पैकेज के अंतर्गत किसी इकाई के सक्षम हो जाने की अधिकतम अवधि, प्रवर्तकों के न्यूनतम स्तर के त्याग आदि) भी निर्धारित करेगा तथा उनके सुचारू रूप से कार्य निष्पादन और ऋण पुनर्चना के लिए निर्धारित समय अनुसूचियों का पालन सुनिश्चित

करेगा। यह मंच कंपनी ऋण पुनर्चना अधिकारप्राप्त समूह और ऋण पुनर्चना कक्ष के अलग-अलग निर्णयों की भी समीक्षा करेगा। कंपनी ऋण पुनर्चना स्थायी मंच उन मामलों के निपटान के लिए विशेष व्यवहार हेतु दिशानिर्देश भी बना सकता है जो जटिल हैं तथा जिनमें उनपर कार्रवाई के लिए निर्दिष्ट समय-सीमा से अधिक देरी होने की संभावना है।

2.5 कंपनी ऋण पुनर्चना का मुख्य समूह (कोर ग्रुप) कंपनी ऋण पुनर्चना स्थायी मंच में से बनाया जायेगा, जो स्थायी मंच की ओर से बैठकों के संयोजन और नीति संबंधी निर्णय लेने में स्थायी मंच की सहायता करेगा। इस मुख्य समूह में आइडीबीआइ, भारतीय स्टेट बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक ल., बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यपालक होंगे तथा भारतीय बैंक संघ के उपाध्यक्ष भी होंगे जो भारत में विदेशी बैंकों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

2.6 कंपनी ऋण पुनर्चना मुख्य समूह ऋण की पुनर्चना के लिए कंपनी ऋण पुनर्चना (सीडीआर) अधिकारप्राप्त समूह और कंपनी ऋण पुनर्चना (सीडीआर) कक्ष द्वारा अपनायी जाने वाली नीतियाँ और दिशानिर्देश निर्धारित करेगा। इन दिशा-निर्देशों में कंपनी ऋण पुनर्विन्यास अधिकारप्राप्त समूह की कार्यप्रणाली में अनुभव की गयी परिचालन संबंधी कठिनाइयों को उपयुक्त रूप से दूर करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। कंपनी ऋण पुनर्चना मुख्य समूह कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली को भेजे जाने वाले मामलों की जांच के लिए पर्ट (PERT) चार्ट भी निर्धारित करेगा तथा समय सीमा को लागू करने के तरीकों पर निर्णय लेगा। कंपनी ऋण पुनर्चना मुख्य समूह ऐसे दिशा-निर्देश भी निर्धारित करेगा जिनसे यह सुनिश्चित हो कि पुनर्चना प्रस्ताव तैयार / अनुमोदित करते समय अति आशावादी अनुमान (प्रोजेक्शन) नहीं किये जाते, विशेष रूप से क्षमता के उपयोग, उत्पाद की कीमत, लाभ मार्जिन, मांग, कच्चे माल की उपलब्धता, आगत-निर्गत अनुपात तथा आयातों / अंतरराष्ट्रीय लागत संबंधी प्रतिस्पर्धा के संभावित प्रभाव के संबंध में।

3. कंपनी ऋण पुनर्चना (सीडीआर) अधिकारप्राप्त समूह

3.1 सीडीआर के अलग-अलग मामलों का निर्णय कंपनी ऋण पुनर्चना अधिकारप्राप्त समूह द्वारा किया जायेगा, जिसमें आइडीबीआइ लि., आइसीआइसीआइ बैंक लि. और भारतीय स्टेट बैंक के कार्यपालक निदेशक के स्तर के प्रतिनिधि स्थायी सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के कार्यपालक निदेशक के स्तर के प्रतिनिधि तो होंगे ही जिनका संबंधित कंपनी के प्रति ऋण आदि जोखिम विद्यमान है। जहां स्थायी सदस्य समूह की बैठकों के संचालन को सुसाध्य बनाएंगे, वहीं वोटिंग केवल ऋणदाताओं के ऋण जोखिम के अनुपात में होगी। कंपनी ऋण पुनर्चना अधिकारप्राप्त समूह प्रभावशाली एवं व्यापक आधार वाला हो तथा कुशलतापूर्वक और सुचारू रूप से कार्य कर सके, इसके लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि सहभागी संस्थाएं / बैंक वरिष्ठ अधिकारियों के ऐसे पैनल को अनुमोदित करें जो कंपनी ऋण पुनर्चना अधिकारप्राप्त समूह में उनका प्रतिनिधित्व करें और यह सुनिश्चित किया जाये कि वे कंपनी ऋण पुनर्चना अधिकारप्राप्त समूह की बैठकों में भाग लेने के लिए पैनल में से ही अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है। इसके साथ ही, एक खाते से संबंधित बैठक में भाग

लेने वाले नामिती को ही उस खाते से संबंधित सभी बैठकों में बिना चूके भाग लेना चाहिए, न कि उनके प्रतिनिधियों को।

3.2 कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से वरिष्ठ स्तर का होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित बैंक/ वित्तीय संस्था त्याग सहित ऋण पुनर्रचना की आवश्यक वचनबद्धताओं का पालन करती है। सहभागी संस्थाओं/बैंकों के संबंधित बोर्डों द्वारा कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह के प्रतिनिधियों के पक्ष में सामान्य प्राधिकरण होना चाहिए, जिसमें अलग-अलग कंपनियों के ऋण पुनर्रचना के संबंध में संगठन की ओर से निर्णय लेने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया हो ।

3.3 उक्त अधिकारप्राप्त समूह सीडीआर कक्ष द्वारा उसे प्रस्तुत पुनर्रचना के अनुरोधों के सभी मामलों की प्रारंभिक रिपोर्ट पर विचार करेगा। अधिकारप्राप्त समूह द्वारा यह निर्णय किये जाने के बाद की प्रथम दृष्टि में कंपनी की पुनर्रचना संभव है और स्थायी मंच द्वारा बनायी गयी नीति और दिशा-निर्देशों के अनुसार यह उद्यम संभाव्य रूप से अर्थक्षम है, तो सी डी आर कक्ष द्वारा प्रमुख संस्थान के सहयोग से विस्तृत पुनर्रचना पैकेज तैयार किया जायेगा। तथापि, यदि प्रमुख संस्थान के सामने विस्तृत पुनर्रचना पैकेज कार्यक्रम बनाने में कठिनाई आती है तो सहभागी बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को ऐसी वैकल्पिक संस्था/बैंक का निर्णय लेना चाहिए जो अधिकारप्राप्त समूह की पहली बैठक में, जब कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष की प्रारंभिक रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा हो, विस्तृत पुनर्रचना कार्यक्रम तैयार करेगा ।

3.4 कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह को ऋण की पुनर्रचना के प्रत्येक मामले को देखने, कंपनी की अर्थक्षमता तथा पुनर्व्यवस्था की संभावना की जांच करने तथा 90 दिन की विनिर्दिष्ट अवधि अथवा अधिकारप्राप्त समूह को मामला प्राप्त होने के अधिक से अधिक 180 दिन के भीतर पुनर्रचना पैकेज को अनुमोदित करने का कार्य सौंपा जायेगा। कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह निमालिखित उदाहरणस्वरूप मानदंडों के आधार पर स्वीकार्य व्यवहार्यता आधार (बैंचमार्क) स्तर निश्चित करेगा, जो अलग-अलग मामले के गुणदोषों के आधार पर प्रत्येक मामले के आधार पर लागू होंगे

- * लगायी गयी पूँजी पर प्रतिफल
- * ऋण शोधन व्याप्ति अनुपात
- * प्रतिफल की आंतरिक दर और निधि की लागत के बीच अंतर
- * परित्याग (सेक्रीफाइस) की सीमा

3.5 प्रत्येक बैंक /वित्तीय संस्था के बोर्ड द्वारा अपने मुख्य कार्यपालक अधिकारी और/ या कार्यपालक निदेशक को प्राधिकृत किया जाना चाहिए कि वह कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली के पास आने वाले मामलों के संदर्भ में नियंत्रण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपेक्षित आवश्यकताओं सहित पुनर्रचना पैकेज कार्यक्रम के बारे में निर्णय ले सके। कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह प्रत्येक ऋण खाते के संदर्भ में दो या तीन बार मिलेगा। इससे सहभागी सदस्यों को उन मामलों के संदर्भ में जहां पुनर्रचना के जटिल महत्वपूर्ण मानदंड उन्हें दिये गये प्राधिकार की सीमा से ऊपर हैं, आवश्यकता होने पर अपने मुख्य कार्यपालक अधिकारी /कार्यपालक निदेशक से उचित प्राधिकार की मांग करने का अवसर प्राप्त होगा ।

3.6 कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह के निर्णय अंतिम होंगे। यदि ऋण की पुनर्रचना अर्थक्षम और संभाव्य पायी जाये और अधिकारप्राप्त समूह द्वारा स्वीकार की जाये, तो कंपनी को पुनर्रचना प्रणाली में रखा जायेगा। तथापि, यदि पुनर्रचना को अर्थक्षम नहीं पाया जाये, तो लेनदार प्राप्त राशि की तत्काल वसूली और/या समाप्त या कंपनी को बंद करने के लिए सम्मिलित रूप से या अलग-अलग आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

4. कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष

4.1 सीडीआर स्थायी मंच तथा सीडीआर अधिकारप्राप्त समूह को उनके सभी कार्यों में एक कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष द्वारा सहायता प्रदान की जायेगी। यह सीडीआर कक्ष ऋणकर्ताओं /ऋणदाताओं से प्राप्त प्रस्तावों की, प्रस्तावित पुनर्रचना योजना और अन्य सूचना मंगवाकर प्रारंभिक संवीक्षा करेगा और मामले को सीडीआर अधिकारप्राप्त समूह के समक्ष एक महीने के भीतर रखेगा, ताकि यह निर्णय किया जा सके कि प्रथम दृष्टि में पुनर्रचना संभाव्य है या नहीं। यदि संभाव्य है, तो सीडीआर कक्ष ऋणदाताओं की सहायता से विस्तृत पुनर्रचना योजना तैयार करेगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो बाहर से विशेषज्ञों को भी कार्य में लगायेगा। यदि मामला प्रथम दृष्टि में संभाव्य नहीं पाया जाता तो ऋणदाता अपनी प्राप्त राशि की बसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।

4.2 ऋणदाताओं या ऋणकर्ताओं द्वारा कंपनी ऋण पुनर्रचना के सभी मामले सी डी आर कक्ष को भेजे जायेंगे। अग्रणी संस्था /कंपनी के प्रमुख हितधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर प्रारंभिक पुनर्रचना योजना तैयार करें और एक महीने के भीतर सी डी आर कक्ष को प्रस्तुत करें। सीडीआर कक्ष सीडीआर स्थायी मंच द्वारा अनुमोदित सामान्य नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्रचना योजना तैयार करेगा तथा निर्णय के लिए 30 दिन के भीतर अधिकारप्राप्त समूह के समक्ष विचारार्थ रखेगा। अधिकारप्राप्त समूह उसे अनुमोदित कर सकता है या संशोधन का सुझाव दे सकता है, परंतु यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतिम निर्णय 90 दिन की कुल अवधि के भीतर ले लिया जाना चाहिए। तथापि, पर्याप्त कारण होने पर, यह अवधि सीडीआर कक्ष को मामला प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 180 दिन तक बढ़ायी जा सकती है।

4.3 कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच, कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह और कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष का कार्यस्थल प्रारंभ में आइडीबीआई लि. में होगा और उसके बाद यदि आवश्यक समझा जाए तो स्थायी मंच द्वारा निर्णय किये गये स्थान पर अंतरित किया जा सकेगा। प्रशासनिक तथा अन्य लागतों में सभी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की हिस्सेदारी होगी। हिस्सेदारी का स्वरूप स्थायी मंच द्वारा तय किये गये रूप में होगा।

4.4 सीडीआर कक्ष के लिए पर्याप्त स्टाफ-सदस्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्रतिनियुक्त किये जायेंगे। सीडीआर कक्ष बाहर के व्यावसायिकों की सहायता भी ले सकता है। सीडीआर कक्ष सहित कंपनी ऋण पुनर्रचना तंत्र के परिचालन की लागत की पूर्ति: मुख्य समूह (कोर ग्रुप) में रहने वाली वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से प्रत्येक द्वारा 50 लाख रुपये की दर से तथा अन्य संस्थाओं और बैंकों से प्रत्येक द्वारा 5 लाख रुपये की दर से अंशदान द्वारा की जायेगी।

5. अन्य विशेषताएं

5.1 पात्रता मानदंड

5.1.1 यह योजना उन खातों पर लागू नहीं होगी, जिनमें केवल एक वित्तीय संस्था या एक बैंक शामिल है। कंपनी ऋण पुनर्रचना तंत्र में बैंकों और संस्थाओं द्वारा दिये गये 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक के निधि आधारित और गैर निधि आधारित बकाया ऋण आदि जोखिम वाले कंपनी उधारकर्ताओं के बहुविध बैंकिंग खाते/समूहन/सहायता संघीय खाते शामिल होंगे।

5.1.2 श्रेणी 1 सीडीआर प्रणाली केवल उर्ध्वी खातों पर लागू होगी जिन्हें 'मानक' और 'अवमानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति हो सकती है जहां किसी बैंक द्वारा ऋण का एक छोटा भाग ही संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। इस स्थिति में, यदि खाते को कम-से-कम 90 प्रतिशत ऋणदाताओं की बहियों में (मूल्य के अनुसार) 'मानक' / 'अवमानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया हो तो उसे 10 प्रतिशत शेष ऋणदाताओं की बहियों में सी डी आर के लिए पात्र के रूप में खाते का निर्णय करने के प्रयोजन के लिए ही मानक /अवमानक के रूप में माना जायेगा। सीडीआर प्रणाली को भेजने के पूर्व किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए खाते/कंपनी को रुण, अनर्जक आस्ति होने या चूक

वाली होने की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु अनर्जक आस्ति के अर्थक्षम संभाव्य मामलों को प्राथमिकता मिलेगी। इस दृष्टिकोण से आवश्यक लचीलापन मिलेगा और ऋण पुनर्चना के लिए समय पर हस्तक्षेप किया जा सकेगा। कोई मील का पथर निर्दिष्ट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऋण पुनर्चना करने का कार्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा या उनकी सहमति से किया जा रहा है।

5.1.3 जब कि किसी भी बैंक में धोखाधड़ी और कदाचार में लिप्त कार्पोरेटों को सीडीआर तंत्र के अंतर्गत पुनर्चना के लिए अब तक की तरह अपात्र माना जाता रहेगा, प्रमुख समूह, जानबूझकर चूककरनेवालों को वर्गीकृत करने के कारणों की समीक्षा कर सकता है विशेषकर पुराने मामलों में जहां जानबूझकर चूककरने वाले के रूप में एक उधारकर्ता का वर्गीकरण करना पारदर्शी नहीं था तथा इस बात से स्वयं को संतुष्ट कर लेगा कि उधारकर्ता जानबूझकर उधार करने वाली स्थिति को सुधारने की स्थिति में है, बशर्ते सीडीआर तंत्र के अंतर्गत उसे एक अवसर दिया जाए। ऐसे अपवाद स्वरूप मामले सिर्फ प्रमुख समूह के अनुमोदन से ही पुनर्चना के लिए स्वीकार किए जा सकते हैं। प्रमुख समूह यह सुनिश्चित करे कि धोखाधड़ी या निधि के नाजायज इरादे के लिए विपथन के मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5.1.4 ऐसे खाते जहां ऋणदाता द्वारा कंपनी के खिलाफ वसूली मुकदमा दायर किया गया है, कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली के अंतर्गत विचार किये जाने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली के अंतर्गत मामले को निपटाने के लिए ऋणदाताओं के कम से कम 75 प्रतिशत (मूल्य के अनुसार) और ऋणदाताओं के 60 प्रतिशत (संख्या के अनुसार) द्वारा कार्रवाई करने का निर्णय लिया हो।

5.1.5 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के मामले कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली के अंतर्गत पुनर्चना के लिए पात्र नहीं हैं। किंतु उक्त बोर्ड के उच्च मूल्य के मामले उस स्थिति में कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली के अंतर्गत पुनर्चना के पात्र होंगे जब कंपनी ऋण पुनर्चना मुख्य समूह द्वारा विशेष रूप से उनकी सिफारिश की गयी हो। मुख्य समूह अपवादस्वरूप बीआइएफआर के मामलों की कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली के अंतर्गत विचार किये जाने के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर सिफारिश करेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऋण देनेवाली संस्थाएं पैकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के पहले बी आइ एफ आर से अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करती हैं।

5.2 कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली को मामला भेजना

5.2.1 कंपनी ऋण पुनर्चना तंत्र को मामला निम्नलिखित द्वारा भेजा जा सकता है - (i) किसी एक या अधिक ऐसे जमानती ऋणदाता द्वारा जिसका कार्यकारी पूँजी या मीयादी वित्त में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंश है या (ii) संबंधित कंपनी द्वारा, यदि किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा समर्थित हो जिसका उपर्युक्त (i) में दिये गये अनुसार हित हो।

5.2.2 हालांकि लचीलापन उपलब्ध है, जिसके द्वारा ऋणदाता कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली की परिधि के बाहर पुनर्चना पर विचार कर सकते हैं अथवा जहां आवश्यक हो, वहां कानूनी कार्यवाही भी शुरू कर सकते हैं, फिर भी बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को ऐसे सभी पात्र मामलों की समीक्षा करनी चाहिए जिनमें वित्तीय प्रणाली का ऋण आदि जोखिम 100 करोड़ रुपये से अधिक है तथा इस बारे में निर्णय करना चाहिए कि मामला कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली को भेजा जाए या नये वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई की जाये या ऋण वसूली न्यायाधिकरण आदि के अंतर्गत मुकदमा दायर किया जाये।

5.3 कानूनी आधार

5.3.1 सीडीआर प्रक्रिया एक गैर-सांविधिक प्रक्रिया होगी जो ऋणकर्ता - ऋणदाता करार (डीसीए) और अंतर -ऋणदाता करार (आइसीए) पर आधारित स्वैच्छिक प्रणाली होगी। कंपनी ऋण पुनर्चना तंत्र

के लिए कानूनी आधार ऋणकर्ता - ऋणदाता करार (डीसीए) और अंतर-ऋणदाता करार द्वारा प्रदान किया जायेगा। ऋणकर्ता को या तो मूल ऋण के दस्तावेज तैयार करते समय (भविष्य के मामलों के लिए) अथवा कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष को मामला भेजते समय ऋणकर्ता - ऋणदाता करार को स्वीकार करना होगा। इसी तरह, स्थायी मंच की अपनी सदस्यता के माध्यम से सीडीआर तंत्र के सभी सहभागियों को, आवश्यक प्रवर्तन और दंडात्मक शर्तों सहित, निर्धारित नीतियों और दिशानिर्देशों के माध्यम से प्रणाली को परिचालित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी करार करना होगा। ऋणदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित आइसीए प्रारंभ में 3 वर्ष के लिए वैध होगा, जिसे उसके बाद और 3 वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकेगा। विदेशी मुद्रा में देश से बाहर ऋण प्रदान करनेवाले ऋणदाता सीडीआर प्रणाली में भाग नहीं ले सकेंगे। ऐसे ऋणदाता और जीआइसी, एलआइसी, यूटीआइ आदि ऋणदाता जो सीडीआर प्रणाली में शामिल नहीं हुए हैं, किसी कार्पोरेट विशेष की सीडीआर प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए उन्हें कार्पोरेट से संबंधित ऋण आदि जोखिम के लिए लेनदेन-वार आइसीए पर हस्ताक्षर करना होगा।

5.3.2 अंतर-ऋणदाता करार अपेक्षित प्रवर्तन और दंडात्मक शर्तों के साथ ऋणदाताओं के बीच कानूनी बाध्यता का करार होगा, जिसमें ऋणदाताओं को सी डी आर तंत्र के विभिन्न तत्वों का पालन करने का उन्हें वचन देना होगा। साथ ही, ऋणदाताओं को इससे सहमत होना पड़ेगा कि यदि मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत ऋणदाता वर्तमान ऋण (अर्थात् बकाया ऋण) के पुनर्रचना पैकेज के लिए सहमत होते हैं, तो वही शेष ऋणदाताओं पर भी बाध्यकारी होगा। चूंकि सीडीआर योजना के वर्ग 1 में मानक और अवमानक खाते ही आते हैं जिनके संबंध में मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत ऋणदाताओं के विचार में सीडीआर पैकेज लागू होने के बाद ये निष्पादक हो सकते हैं, अतः यह अपेक्षा की जाती है कि अन्य सभी ऋणदाता (अर्थात् न्यूनतम मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत से भिन्न) सहमत अतिरिक्त वित्तपोषण सहित समग्र सीडीआर पैकेज में शामिल होने के इच्छुक होंगे।

5.3.3 सीडीआर तंत्र का प्रभाव बढ़ाने के लिए सहायता संघ/समूहन खातों के ऋण करारों में एक खंड जोड़ा जा सकता है, जिससे उन ऋणदाताओं सहित जो सीडीआर तंत्र के सदस्य नहीं हैं, सभी ऋणदाता इस बात के लिए सहमति दें कि वे पुनर्रचना आवश्यकता पड़ने पर सीडीआर तंत्र के अंतर्गत अनुमोदित पुनर्रचना पैकेज की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

5.3.4 ऋणकर्ता-ऋणदाता करार का एक महत्वपूर्ण तत्व दोनों ओर से 90 दिन या 180 दिनों के लिए बाध्यकारी 'ठहराव' करार होगा। इस खंड के अंतर्गत, ऋणकर्ता और ऋणदाता (ऋणदाताओं) दोनों को कानूनी तौर पर बाध्यकारी 'ठहराव' के लिए सहमत होना पड़ेगा, जिससे दोनों पार्टियों को 'ठहराव' अवधि के दौरान किसी अन्य कानूनी कार्रवाई का सहारा न लेने का वचन देना होगा, ताकि न्यायिक अथवा अन्य किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना आवश्यक ऋण पुनर्रचना करने के लिए सीडीआर तंत्र आवश्यक कदम उठा सके। परंतु ठहराव खंड ऋणकर्ता अथवा ऋणदाता द्वारा दूसरे पक्ष के विरुद्ध सिविल कार्रवाई के लिए लागू होगा, न कि किसी आपराधिक कार्रवाई के लिए। इसके अतिरिक्त, ठहराव की अवधि के दौरान बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं (फॉरवर्ड कंट्रैक्ट्स), डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आदि को निश्चित रूप (क्रिस्टेलाइजेशन) दिया जा सकता है, बशर्ते कि उधारकर्ता ऐसा करने के लिए सहमत हो। ऋणकर्ता यह अतिरिक्त वचन भी देगा कि ठहराव की अवधि के दौरान परिसीमन (लिमिटेशन) के प्रयोजन के लिए दस्तावेज की परिसीमन अवधि विस्तारित हुई मानी जायेगी और यह भी कि वह राहत के लिए किसी अन्य प्राधिकारी के पास नहीं जायेगा और ऋणकर्ता कंपनी के निदेशक यथास्थिति की इस अवधि के दौरान निदेशक मंडल से इस्तीफा नहीं देंगे।

5.5 अतिरिक्त वित्त का बंटवारा

5.5.1 ‘मानक’ या ‘अवमानक’ खाते के सभी ऋणदाताओं द्वारा समानुपातिक आधार पर अतिरिक्त वित्त, यदि कोई हो, प्रदान करना होगा चाहे वे कार्यशील पूँजी ऋणदाता हों या मीयादी ऋणदाता। किसी आंतरिक कारण से कोई भी ऋणदाता (न्यूनतम 75 प्रतिशत और 60 प्रतिशत से बाहर) अतिरिक्त वित्तपोषण नहीं करना चाहता, उस ऋणदाता को पैरा 4.6 के प्रावधानों के अनुसार एक विकल्प उपलब्ध होगा ।

5.5.2 अतिरिक्त एक्सपोजर के संबंध में वसूलियों से प्राप्त होनेवाले नकदी प्रवाहों पर अतिरिक्त वित्त प्रदान करनेवाले मौजूदा ऋणदाताओं अथवा नए ऋणदाताओं का विद्यमान वित्त के प्रदाताओं की अपेक्षा पहला अधिकार होगा और पुनर्रचना पैकेज में ऐसी व्यवस्था की जाएगी ।

5.6 प्रणाली से बाहर होने का विकल्प

5.6.1 जैसा कि पैराग्राफ 4.5.1 में उल्लेख किया गया है, किसी भी ऋणदाता (न्यूनतम 75 प्रतिशत और 60 प्रतिशत से बाहर) जो किसी आंतरिक कारण से वित्त नहीं लगाना चाहता के लिए एक विकल्प है। साथ ही, “प्री राइडर” समस्या से बचने के लिए इस विकल्प को अपनाने के इच्छुक ऋणदाता के लिए कुछ निरुत्साहक कार्रवाई करना जरूरी है। ऐसे ऋणदाता चाहे तो (क) नए या वर्तमान ऋणदाता द्वारा प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्त वित्त में से अपने शेयर (हिस्से) की व्यवस्था करे या (ख) सीडीआर पैकेज प्रभावी हो जाने के बाद, प्रथम वर्ष के देय ब्याज को आस्थगित करने के लिए सहमत हो। ऊपर उल्लिखित आस्थगित प्रथम वर्ष का ब्याज, बिना चक्रवृद्धि ब्याज के, ऋणदाता को देय मूलधन की अंतिम किस्त के साथ अदा करना होगा।

5.6.2 इसके अतिरिक्त, प्रणाली से बाहर होने का विकल्प भी न्यूनतम 75 प्रतिशत और 60 प्रतिशत के अंतर्गत सभी ऋणदाताओं के लिए उपलब्ध रहेगा बशर्ते खरीदार, अधिकारप्राप्त समूह द्वारा अनुमोदित पुनर्रचना पैकेज का पालन करने के लिए सहमत हो। वर्तमान ऋणदाताओं को उधारकर्ता को उनके विद्यमान ऋण आदि जोखिम के स्तर पर रहने दिया जाए बशर्ते वे वर्तमान ऋणदाताओं के साथ या अतिरिक्त वित्त के अपने अंश को वहन करनेवाले नए ऋणदाताओं के साथ गठजोड़ करे।

5.6.3 पैकेज से बाहर जाने की इच्छा रखने वाले ऋणदाताओं को एक विकल्प है कि वे अपने विद्यमान शेयर, वर्तमान ऋणदाताओं या नए ऋणदाताओं को एक उचित मूल्य पर बेच सकते हैं, जो वर्तमान ऋणदाता और भारग्रहण करनेवाले नए ऋणदाता के बीच आपसी समझौते से तय किया जाएगा। नए ऋणदाताओं को चुकौती और प्राप्य राशि की सर्विसिंग के लिए समान स्थान पर रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने वर्तमान ऋणदाता से विद्यमान प्राप्य राशि खरीदी है ।

5.6.4 प्रणाली से बाहर जाने के विकल्प को अधिक लचीला बनाने के लिए पुनर्रचना पैकेज के एक हिस्से के तौर पर जहां आवश्यक हो वहां ‘एक मुश्त निपटान’ करने पर भी विचार किया जा सकता है। यदि उधारकर्ता द्वारा किसी ऋणदाता के किसी खाते को सीडीआर तंत्र में भेजने से पहले ‘एक मुश्त निपटान’ के अधीन कर दिया जाता है, तो पुनर्रचना पैकेज के अंतर्गत ऐसे किसी भी ‘एक मुश्त निपटान’ की पूरित प्रतिबद्धता को नहीं उलटा जाए। ऐसे ‘एक मुश्त निपटान’ से निकलने वाली आगे की भुगतान प्रतिबद्धताओं को पुनर्रचना पैकेज में फैक्टर किया जाएगा।

5.7 श्रेणी 2 सीडीआर प्रणाली

5.7.1 ऐसे मामले भी हुए हैं जहां परियोजना को ऋणदाताओं द्वारा संभाव्यता वाली परियोजना के रूप में माना गया, परंतु खातों को सी डी आर प्रणाली के अंतर्गत पुनर्रचना के लिए इसलिए नहीं लिया जा सका कि वे ‘संदिग्ध’ की श्रेणी में आते थे। अतः सीडीआर की दूसरी श्रेणी का ऐसे मामलों के लिए

निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रारंभ किया गया जहां खातों को ऋणदाता द्वारा बहियों में ‘संदिग्ध’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा ऋणदाताओं का न्यूनतम 75 प्रतिशत (मूल्य के आधार पर) और 60 प्रतिशत (संख्या के आधार पर) खातों की संभाव्यता से संतुष्ट होकर ऐसे पुनर्रचना के लिए सहमत हों :

- (i) ऋण पुनर्रचना पैकेज के अंतर्गत ऋणदाता के लिए यह बाध्यता नहीं होगी कि वह पैकेज द्वारा निर्धारित अतिरिक्त वित्तपोषण को स्वीकार करे और ऋण देने अथवा न देने का निर्णय प्रत्येक ऋणदाता बैंक/वित्तीय संस्था पर अलग से निर्भर होगा। दूसरे शब्दों में, सीडीआर तंत्र के प्रस्तावित केवल विद्यमान ऋण ही पुनर्व्यवस्थापित किया जायेगा और यह प्रायोजक पर निर्भर है कि अतिरिक्त वित्तपोषण की व्यवस्था विद्यमान ऋणदाताओं से की जाये अथवा नये ऋणदाताओं से।
- (ii) सीडीआर प्रक्रिया संबंधी अन्य सभी मानदंड, जैसे कि ठहराव खंड, सीडीआर के अंतर्गत पुनर्रचना लंबित रहने की अवधि के दौरान आस्ति वर्गीकरण की स्थिति आदि इस श्रेणी के लिए भी लागू होते रहेंगे।

5.7.2 कोई एकल मामला भारतीय रिजर्व बैंक को न भेजा जाए। सीडीआर कोर समूह यह निर्णय ले सकता है कि कोई विशिष्ट मामला सीडीआर दिशा-निर्देशों के अधीन आता है अथवा नहीं।

5.7.3 सीडीआर प्रणाली की अन्य सभी विशिष्टताएं जो प्रथम श्रेणी के लिए प्रयोज्य हैं, वे सभी दूसरी श्रेणी के अंतर्गत पुनर्व्यवस्थापित मामलों के लिए भी लागू होंगी।

5.8 ‘प्रतिदान का अधिकार’ खंड का समावेश

सीडीआर अनुमत सभी पैकेजों में त्वरित गति से चुकौती करने के ऋणदाताओं के अधिकार और समय से पहले भुगतान करने के उधारकर्ताओं के अधिकार को शामिल करना चाहिए। प्रतिपूर्ति अधिकार स्थायी मंच द्वारा निर्धारित किये जाने वाले विशिष्ट कार्यनिष्ठादन मानदंडों पर आधारित होने चाहिए।

आ. छोटे तथा मझौले उद्यमों (एसएमई) के लिए ऋण पुनर्रचना प्रणाली

छोटे तथा मझौले उद्यमों (एसएमई) द्वारा लिए गए ऋणों की पुनर्रचना के लिए सीडीआर प्रणाली से काफी सरल प्रणाली विद्यमान है। सीडीआर प्रणाली के विपरीत इस प्रणाली के परिचालनगत नियम संबंधित बैंकों को ही बनाने हैं। यह प्रणाली उन सभी उधारकर्ताओं पर लागू होगी जिनका बहु/सहायता संघीय बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये तक का निधिक तथा निधीतर बकाया है। इस व्यवस्था के मुख्य तत्व निम्नानुसार हैं :

- i) इस प्रणाली के अंतर्गत बैंक अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के भीतर एसएमई के लिए एक ऋण पुनर्रचना योजना बना सकते हैं। बैंक चाहें तो एसएमई के भीतर ही भिन्न क्षेत्रों के उधारकर्ताओं के लिए भिन्न नीतियां बना सकते हैं।
- ii) योजना बनाते समय बैंक यह सुनिश्चित करें कि योजना समझने में आसान है और उसमें कम-से-कम इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट मानदंड शामिल हैं।
- iii) योजना का मुख्य आधार यह है कि जिस बैंक का अधिकतम बकाया है वह बैंक बकाया राशि में जिस बैंक का दूसरा क्रम है के साथ मिलकर पुनर्रचना पैकेज बना सकता है।

- iv) बैंकों को अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन की अधिकतम अवधि के भीतर पुनर्रचना पैकेज बनाकर उसका कार्यान्वयन करना चाहिए।
- v) एसएमई ऋण पुनर्रचना प्रणाली किसी भी प्रकार का कार्य करनेवाले सभी उधारकर्ताओं को उपलब्ध होगी।
- vi) एसएमई खातों के पुनर्वास तथा पुनर्रचना में हुई प्रगति की बैंक तिमाही आधार पर समीक्षा करेंगे और बोर्ड को अवगत करायें।

अनुबंध- 2

प्रमुख अवधारणाएं

- (i) **अग्रिम :** ‘अग्रिम’ शब्द का अर्थ होगा सभी प्रकार की ऋण सुविधाएं जिनमें नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मीयादी ऋण, भुनाए /खरीदे गए बिल, आढ़तीय प्राप्य राशियां आदि तथा ईक्विटी स्वरूप के छोड़कर अन्य निवेश शामिल होंगे।
- (ii) **कृषि कार्य :** 30 अप्रैल 2007 के ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के परिपत्र ग्राआक्रवि. सं. प्लान बीसी. 84/04.09.01/2006-07 में दी गयी परिभाषा के अनुसार जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।
- (iii) **पूरी तरह रक्षित :** जब बैंक को देय राशियां (पुनर्रचित ऋण की शर्तों के अनुसार मूलधन तथा प्राप्य ब्याज का वर्तमान मूल्य), उन राशियों के संबंध में बैंक के पक्ष में विधिवत् प्रभारित जमानत के मूल्य द्वारा पूरी तरह रक्षित हैं, तब बैंक को देय राशियों को पूरी तरह रक्षित समझा जाता है। जमानत वसूली योग्य मूल्य का मूल्यांकन करते समय प्राथमिक तथा संपार्श्चक प्रतिभूतियों की भी गणना की जाएगी, बशर्ते ऐसी प्रतिभूतियां मूर्त स्वरूप की हैं और प्रवर्तक /अन्यों की गारंटी आदि जैसे अमूर्त रूप में नहीं हैं। तथापि, इस प्रयोजन के लिए बैंक की गारंटियों, राज्य सरकार की गारंटियों तथा केंद्र सरकार की गारंटियों को मूर्त जमानत के समतुल्य माना जाएगा।
- (iv) **पुनर्रचित खाते :** पुनर्रचित खाता ऐसा खाता है जहां बैंक उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक अथवा विधिक कारणों के लिए उधारकर्ता को ऐसी रियायतें प्रदान करता है

जिन्हें प्रदान करने पर वह अन्यथा विचार न करता। पुनर्रचना में सामान्यतः अग्रिमों /जमानत की शर्तों में संशोधन किया जाएगा जिसमें सामान्यतः अन्य बातों के साथ चुकौती की अवधि /चुकौती योग्य राशि /किस्तों की राशि / ब्याज की दर (प्रतियोगी कारणों को छोड़कर अन्य कारणों से) में परिवर्तन शामिल होगा।

- (v) **पुनरावृत्त पुनर्रचित खाते :** जब कोई बैंक किसी खाते की दूसरी (अथवा उससे अधिक) बार पुनर्रचना करता है तो उस खाते को 'पुनरावृत्त पुनर्रचित खाता' समझा जाएगा। तथापि, पहली पुनर्रचना की शर्तों के अंतर्गत प्रदान की गई रियायतों की अवधि समाप्त होने के बाद यदि दूसरी पुनर्रचना की जाती है तो उस खाते को 'पुनरावृत्त पुनर्रचित खाता' नहीं समझा जाएगा।
- (vi) **एसएमई :** छोटे तथा मझौले उद्यम समय-समय पर संशोधित ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के 4 अप्रैल 2007 के परिपत्र ग्राआक्रवि. पीएलएनएफएस. बीसी. सं. 63.06.02/2006-07 में परिभाषित उपक्रम है।
- (vii) **निर्दिष्ट अवधि :** निर्दिष्ट अवधि का अर्थ है पुनर्रचना पैकेज की शर्तों के अनुसार ब्याज अथवा मूल धन की किस्त की पहली अदायगी देय होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि।
- (viii) **संतोषजनक कार्यनिष्ठादान :** निर्दिष्ट अवधि के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्ठादान का अर्थ उस अवधि के दौरान निम्नलिखित शर्तों का पालन किए जाने से है :

कृषीतर नकद ऋण खाते : कृषीतर नकद ऋण खातों के मामले में उक्त खाता निर्दिष्ट अवधि के दौरान 90 दिन से अधिक अवधि के लिए चूक की स्थिति (आउट ऑफ ऑर्डर) में नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट अवधि के अंत में कोई भी अतिदेयताएं नहीं होनी चाहिए।

कृषीतर मीयादी ऋण खाते : कृषीतर मीयादी ऋण खातों के मामले में कोई भी भुगतान 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय नहीं रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट अवधि के अंत में कोई भी अतिदेयताएं नहीं होनी चाहिए।

सभी कृषि खाते : कृषि खातों के मामले में निर्दिष्ट अवधि के अंत में खाता नियमित होना चाहिए।

अनुबंध - 3

(करोड़ रुपये में)

पुनर्रचित खातों के ब्यौरे

		सीडीआर प्रणाली	एसएमई ऋण पुनर्रचना	अन्य
पुनर्रचित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या			
	बकाया राशि			
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)			
पुनर्रचित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या			
	बकाया राशि			
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)			
पुनर्रचित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या			
	बकाया राशि			
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)			
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या			
	बकाया राशि			
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)			

अनुबंध -4

दिशानिर्देशों के अंतर्गत पुनर्रचित खातों का आस्ति वर्गीकरण

	ब्यौरे	मामला 1	मामला 2	मामला 3	मामला 4
I	भुगतान की कल्पित नियत तारीख	31.01.2007	31.01.2007		
	पुनर्रचना की कल्पित तारीख	31.03.2007	31.03.2007	31.03.2007	31.03.2007
	पुनर्रचना की तारीख को बकाया रहने की अवधि	2 महीने	2 महीने	18 महीने	18 महीने
	पुनर्रचना के पूर्व आस्ति वर्गीकरण(एसी)	'मानक'	'मानक'	'संदिग्ध - एक वर्ष से कम'	'संदिग्ध - एक वर्ष से कम'
	अनर्जक आस्ति की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	31.12.05 (कल्पित)	31.12.05 (कल्पित)
II	पुनर्रचना के धसमय आस्ति वर्गीकरण				
	उधारकर्ता का कल्पित स्तर	विशेष विनियामक व्यवहार के लिए पात्र	विशेष विनियामक व्यवहार के लिए अपात्र	विशेष विनियामक व्यवहार के लिए पात्र	विशेष विनियामक व्यवहार के लिए अपात्र
	पुनर्रचना के पश्चात् आस्ति वर्गीकरण	'मानक'	31.03.07 (अर्थात् पुनर्रचना की तारीख को) से दर्जा घटाकर 'अवमानक' श्रेणी में	संदिग्ध - एक वर्ष से कम	संदिग्ध - एक वर्ष से कम
	संशोधित शर्तों के अंतर्गत कल्पित पहला देय भुगतान	31.12.07	31.12.07	31.12.07	31.12.07
III	पुनर्रचना के बाद आस्ति वर्गीकरण				
अ.	पुनर्रचित शर्तों के अनुसार खाता संतोषजनक कार्यनिष्पादन करता है				
(क)	एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि (अर्थात् 31.12.07 से 31.12.08 तक) के दौरान आस्ति वर्गीकरण	कोई परिवर्तन नहीं (अर्थात् 'मानक' रहता है)	31.03.08 से (अर्थात् अवमानक रूप में वर्गीकरण के एक वर्ष के बाद) संदिग्ध - एक वर्ष से कम	कोई परिवर्तन नहीं (अर्थात् 'संदिग्ध - एक वर्ष से कम' के रूप में वर्गीकरण एक वर्ष के बाद	31.12.07 से (अर्थात् 'संदिग्ध - एक वर्ष से कम' के रूप में वर्गीकरण एक वर्ष के बाद
(ख)	एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के बाद आस्ति	'मानक' श्रेणी में जारी रहता	'मानक' श्रेणी में उन्नयन किया	'मानक' श्रेणी में उन्नयन	'मानक' श्रेणी में उन्नयन

	वर्गीकरण	हैं	गया	किया गया	किया गया
ख	यदि पुनर्रचित शर्तों के अनुसार कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं है				
(क)	एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के दोरान आस्ति वर्गीकरण (यदि एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व असंतोषजनक कार्यनिष्पादन स्थापित हुआ हो)	30.04.2007 से 'अवमानक' माना गया तथा 30.4.08 से दर्जा घटाकर 'संदिग्ध -एक वर्ष से कम' किया गया	31.03.08 से (अर्थात् वर्गीकरण के एक वर्ष के बाद) संदिग्ध - एक वर्ष से कम	31.12.07 से 'संदिग्ध एक से तीन वर्ष'	31.12.07 से (अर्थात् 'संदिग्ध - एक वर्ष से कम' के रूप में वर्गीकरण से एक वर्ष की अवधि के बाद 31.12.06 को) संदिग्ध - एक से तीन वर्ष
(ख)	यदि असंतोषजनक कार्यनिष्पादन जारी रहता हो तो एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के बाद आस्ति वर्गीकरण	30.04.09 से 'संदिग्ध - एक से तीन वर्ष' श्रेणी में जाएगा और 30.04.2011 से 'संदिग्ध - तीन वर्ष से अधिक' में	31.03.09 से 'संदिग्ध- एक से तीन वर्ष' श्रेणी में जाएगा और 31.03.2011 से संदिग्ध -तीन वर्ष से अधिक में	31.12.09 से संदिग्ध - तीन वर्ष से अधिक' श्रेणी में जाएगा।	31.12.09 से 'संदिग्ध -तीन वर्ष से अधिक' श्रेणी में आगे डाला जाएगा।